न्यायालय भू प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा

(पीठासीन अधिकारी महेन्द्र लोढ़ा, आर.ए.एस.)

अपील संख्या 82/2018 दायरा दिनांक : 11.06.2018

उनवान

1– श्यामलाल आत्मज राम नारायण, जाति मोग्या, निवासी भरतपुरा हाल बागरी मोहल्ला अकलेरा, तहसील अकलेरा, जिला झालावाड़

2– कजोडी बाई पुत्री आत्मज राम नारायण, पत्नी कैलाश, जाति मोग्या, निवासी खिलचीपुर जिला राजगढ़ मध्यप्रदेश हाल निवासी बागरी मोहल्ला अकलेरा, तहसील अकलेरा, जिला झालावाड़

3– विमला बाई पुत्री श्री आत्मज राम नारायण, जाति मोग्या, (जोजे राजू) निवासी बडा मोहल्ला हाल निवासी बागरी मोहल्ला अकलेरा, तहसील अकलेरा, जिला झालावाड़ (मृतक) रामनारायण के कायम मुकामान

.... अपीलांट

बनाम

1– बापू लाल आत्मज गोपी लाल, जाति मोग्या (माता नन्दू बाई) निवासी आनन्दा, तहसील असनावर, जिला झालावाड़

2– दुर्गा लाल आत्मज गोपी लाल, जाति मोग्या (माता नन्दू बाई) निवासी आनन्दा, तहसील असनावर, जिला झालावाड़

3– धापू बाई बेवा राम नारायण, जाति मोग्या, निवासी बागरी मोहल्ला अकलेरा, तहसील अकलेरा, जिला झालावाड़

4– परमानन्द मृतक आत्मज राम नारायण, जाति मोग्या, निवासी बागरी मोहल्ला अकलेरा, तहसील अकलेरा, जिला झालावाड़ मृतक कायम मुकामान –

(महेन्द्र लोढ़ा)
भू-प्रबन्ध अधिकारी
एवं
पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी
कोटा (राज.)

4/1– संजय आत्मज परमानन्द, आयु 8 साल नाबालिग जरिये वली माता इन्द्रा बाई बेवा परमानन्द, जाति मोग्या, निवासी बागरी मोहल्ला अकलेरा, तहसील अकलेरा, जिला झालावाड

4/2– इन्द्रा बाई बेवा परमानन्द, जाति मोग्या, निवासी बागरी मोहल्ला अकलेरा, तहसील अकलेरा, जिला झालावाड

5– किशना आत्मज कूल, जाति मोग्या, निवासी बागरी मोहल्ला अकलेरा, तहसील अकलेरा, जिला झालावाड़ मृतक हाल मुकामान :–

5/1– छीतरलाल आत्मज किशना, जाति मोग्या, निवासी बागरी मोहल्ला अकलेरा, तहसील अकलेरा, जिला झालावाड

5/2– हरिप्रसाद आत्मज किशना, जाति मोग्या, निवासी बागरी मोहल्ला अकलेरा, तहसील अकलेरा, जिला झालावाड

5/3– राजू आत्मज किशना, जाति मोग्या, निवासी बागरी मोहल्ला अकलेरा, तहसील अकलेरा, जिला झालावाड

5/4– मांगीबाई पुत्री किशना, जोजे मूलचन्द, जाति मोग्या, निवासी ल्हास, तहसील अकलेरा, जिला झालावाड

5/5– कमली बाई बेवा किशना, जाति मोग्या, निवासी बागरी मोहल्ला अकलेरा, तहसील अकलेरा, जिला झालावाड

6– शाखा प्रबन्धक एस बी आई अकलेरा, तहसील अकलेरा, जिला झालावाड

7– स्टेट आफ राजस्थान जरिये तहसीलदार अकलेरा, जिला झालावाड

.... रेस्पोडेंट

उपस्थित – श्री अमर सिंह लववंशी अभिभाषक अपीलांट की ओर से

श्री श्याम सुन्दर शर्मा।। अभिभाषक रेस्पोडेंट की ओर से

निर्णय दिनांक : 18.01.2021

यह अपील अन्तर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम उपखण्ड अधिकारी, अकलेरा के प्रकरण संख्या – 52/दावा/2016 निर्णय व डिक्री दिनांक 05.03.2018 से अप्रसन्न होकर पेश की गई है ।

अपील के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक 5.03.2018 विधि विरूद्ध एवं पत्र संग्रह सार के विपरीत है । अपीलांट को सुनवाई एवं साक्ष्य प्रस्तुत करने का उचित अवसर नहीं दिया गया । अधीनस्थ न्यायालय द्वारा निर्णय में दिनांक 27.12.2017 अंकित कर रखी है तथा न्यायिक निर्णय सुना गया उसमें 05.03.2018 अंकित है इससे जाहिर हो रहा है कि निर्णय व डिक्री दिनांक 5.03.2018 है जबकि फैसला में दिनांक 27.12.2017 लिखी गई है अधीनस्थ न्यायालय द्वारा जिसमें कोई सुधार नहीं किया गया है । अपीलांट के पूर्वज श्री भवाना लाल है उसके दो पुत्र हुए पहला पुत्र कालू व दूसरा पुत्र देवा है । भवाना लाल के मरनके के बाद उसके खातदारी की जमीन का दोनों भाइयों में बंटवारा हो गया तािा दोनों 1/2 –1/2 हिस्से पर काश्त करते चले आ रहे हैं । कालू व देवा का स्वर्गवास हो गया है । कालू के तीन पुत्र हुए पहला रामनारायण, जो फौत हो गया है उसके वारिस अपीलांट कजोडी बाई, श्याम, विमल व रेस्पोडेंट धापू बाई परमानन्द है कालूका दूसरा लडका किशन है वह भी फौत हो गया है उसके मांगीबाई, छीतरलाल, हरिप्रसाद, राजू , कमली बाई रेस्पोडेंट है इस प्रकार कालू लाल का तीसरा लडका प्यारा है जो कि लाऔलाद व कुवारा फौत हुआ है जिसकी देखभाल सार संभार व संस्कार सारे अपीलांट ने ही किये हैं इसलिए उसके हिस्से की आराजी प्रार्थीगण अपीलांट ही अपने कब्जे काश्त में करते चले आ रहे हैं । भुवाना का दूसरा पुत्र देवा है जो भी

(महेन्द्र लोढ़ा)
मुख्य कार्यकारी अधिकारी
एवं
पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी
कोटा (राज.)

फौत हो गया है उसके एक पुत्री नन्दू बाई हुई उसके कोई लडका नहीं था इस कारण देवा की जमीन पर 1/2 हिस्से पर नन्दू बाई का नाम दर्ज हुआ । नन्दु बाई भी फौत हो चुकी है उसके दो पुत्र रेस्पोडेंट नम्बर 1 व 2 है तथा नन्दू बाई के शेष वारिसान को छुपाया गया है न्यायालय द्वारा इनके तथ्यात्मक जांच नहीं की गई । अपीलांट के पिता अनपढ़ थे तथा नन्दू बाई महिला थी और उसने कालू के मरने के बाद जो कि अपीलांट के दादा है उनके हिस्से में अपना नाम दर्ज करवा लिया तथा अपने पिता देवा का हिस्सा अलग रखा । नन्दू बाई के पास 8 बीघा जमीन की खातेदारी है तथा कालू के हिस्से में भी अपना नाम दर्ज करवा लिया ।कालू लाल ने अपने जीवनकाल में 6 बीघा जमीन खरीदी थी जो बढ़कर 14 बीघा हो गया । अपीलांट के पक्ष में प्रथम दृष्टया प्रतीत होता है, सुविधा का संतुलना अपीलांट के पक्ष में है । इस कारण यह अपील अपीलांट स्वीकार की जावे । अतः अपील अपीलांट स्वीकार कर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 05.03.2018 अपास्त की जावे ।

अपील प्राप्त होने पर दर्ज रजिस्टर की गई । नोटिस जारी किये गये । वहस उभयपक्षीय सुनी गई ।

विद्वान अभिभाषक अपीलांट ने अपील में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय दिनांक 27.12.2017 है लेकिन दिनांक 05.03.2018 को सुनाया गया । अधीनस्थ न्यायालय में 15–16 वर्ष बाद बाबू लाल ने दावा पेश किया । नन्दू बाई के वारिसान को शामिल नहीं किया । इनको भी हिस्सा मिलना चाहिए । रामनारायण के लडके प्यारा ला औलाद फौत हुआ है उसका हिस्सा अपीलांट को मिलना चाहिए । अतः अपील अपीलांट स्वीकार की जावे ।

विद्वान अभिभाषक रेस्पोडेंट ने कथन किया कि अपीलांट को 1/2 हिस्सा मिलना चाहिए जो मिल गया । जमीन बेच भी दी है ।

(महेन्द्र लोढा)
मुख्य कार्यकारी अधिकारी
एवं
पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी
कोटा (राज.)

अतः इनको अपील करने का अधिकार नहीं है । अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय उचित है । अतः अपील खारिज की जावे ।

हमने बहस पर मनन किया एवं पत्रावली का अवलोकन किया । प्रकरण में उपखण्ड अधिकारी का निर्णय में दिनांक 27.12.2017 अंकित है व निर्णय सुनाने की दिनांक 05.03.2018 है । अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली में सलंग्न आदेशिका का अवलोकन से स्पष्ट है कि प्रकरण में निर्णय दिनांक 05.03.2018 को ही किया गया है । निर्णय में दिनांक 27.12.2017 सहवन से दर्ज होना प्रतीत होती है । अपीलांट द्वारा ऐसा कोई कारण अंकित नहीं किया है कि उन्हें कि आधार पर वादग्रस्त आराजी का हिस्सा मिलना चाहिए, न ही नन्दूबाई के शेष वारिसान बाबत कोई दस्तावेज पेश किया जिसके आधार पर अपीलांट नन्दू बाई के शेष वारिसानों को छिपाने का कथन अपील में कर रहे हैं । अपीलांट द्वारा वादग्रस्त आराजी के पुश्तैनी होने बाबत भी कोई दस्तावेज पेश नहीं किया । अधीनस्थ न्यायालय ने सही निर्णय पारित किया है जिसमें हम किसी प्रकार का हस्तक्षेप करना उचित नहीं समझते हैं ।

उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलांट खारिज की जाती है । अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 05.03.2018 यथावत रखा जाता है ।

निर्णय आज दिनांक 18.01.2021 को लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया ।

(महेन्द्र लोढ़ा)
भू प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन
राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा

डिक्री व सीगे अपील

Jud/Civ
Part IV-4

(ऑ. 41, रूल 35 जाप्ता दीवानी)
(Civil Procedure Code, Appendix G'9)

अज अदालत न्यायालय भू–प्रबंध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा मुकाम कोटा
महेन्द्र लोढ़ा, आर.ए.एस. पीठासीन प्राधिकारी, कोटा (राजस्थान)

1– श्यामलाल आत्मज राम नारायण, जाति मोग्या, निवासी भरतपुरा हाल बागरी मोहल्ला अकलेरा, तहसील अकलेरा, जिला झालावाड़
2– कजोडी बाई पुत्री आत्मज राम नारायण, पत्नी कैलाश, जाति मोग्या, निवासी खिलचीपुर जिला राजगढ़ मध्यप्रदेश हाल निवासी बागरी मोहल्ला अकलेरा, तहसील अकलेरा, जिला झालावाड़
3– विमला बाई पुत्री श्री आत्मज राम नारायण, जाति मोग्या, (जोजे राजू) निवासी बडा मोहल्ला हाल निवासी बागरी मोहल्ला अकलेरा, तहसील अकलेरा, जिला झालावाड़ (मृतक) रामनारायण के कायम मुकामान
.... अपीलांट

बनाम

1– बापू लाल आत्मज गोपी लाल, जाति मोग्या (माता नन्दू बाई) निवासी आनन्दा, तहसील असनावर, जिला झालावाड़
2– दुर्गा लाल आत्मज गोपी लाल, जाति मोग्या (माता नन्दू बाई) निवासी आनन्दा, तहसील असनावर, जिला झालावाड़
3– धापू बाई बेवा राम नारायण, जाति मोग्या, निवासी बागरी मोहल्ला अकलेरा, तहसील अकलेरा, जिला झालावाड़
4– परमानन्द मृतक आत्मज राम नारायण, जाति मोग्या, निवासी बागरी मोहल्ला अकलेरा, तहसील अकलेरा, जिला झालावाड़ मृतक कायम मुकामान –
4/1– संजय आत्मज परमानन्द, आयु 8 साल नाबालिग जरिये वली माता इन्द्रा बाई बेवा परमानन्द, जाति मोग्या, निवासी बागरी मोहल्ला अकलेरा, तहसील अकलेरा, जिला झालावाड
4/2– इन्द्रा बाई बेवा परमानन्द, जाति मोग्या, निवासी बागरी मोहल्ला अकलेरा, तहसील अकलेरा, जिला झालावाड
5– किशना आत्मज कूल, जाति मोग्या, निवासी बागरी मोहल्ला अकलेरा, तहसील अकलेरा, जिला झालावाड़ मृतक हाल मुकामान :–
5/1– छीतरलाल आत्मज किशना, जाति मोग्या, निवासी बागरी मोहल्ला अकलेरा, तहसील अकलेरा, जिला झालावाड
5/2– हरिप्रसाद आत्मज किशना, जाति मोग्या, निवासी बागरी मोहल्ला अकलेरा, तहसील अकलेरा, जिला झालावाड
5/3– राजू आत्मज किशना, जाति मोग्या, निवासी बागरी मोहल्ला अकलेरा, तहसील अकलेरा, जिला झालावाड
5/4– मांगीबाई पुत्री किशना, जोजे मूलचन्द, जाति मोग्या, निवासी ल्हास, तहसील अकलेरा, जिला झालावाड
5/5– कमली बाई बेवा किशना, जाति मोग्या, निवासी बागरी मोहल्ला अकलेरा, तहसील अकलेरा, जिला झालावाड
6– शाखा प्रबन्धक एस बी आई अकलेरा, तहसील अकलेरा, जिला झालावाड
7– स्टेट आफ राजस्थान जरिये तहसीलदार अकलेरा, जिला झालावाड
.... रेस्पोडेंट

अपील नं. 82/2018
मु.द.नं0 52/दावा/2016

एवं नाराजगी डिक्री अदालत – उपखण्ड अधिकारी, अकलेरा
निर्णय व डिक्री दिनांक – 05.03.2018

दावा बाबत

माह अपील व तारीख 08 माह 01 सन् 2021

हाजरी **श्री अमर सिंह लववंशी** अभिभाषक मिनजानिब अपीलांट एवं **श्री श्याम सुन्दर शर्मा।।** अभिभाषक मिनजानिब रेस्पोडेंट
समाअत के लिये पेश होकर हुक्म हुआ कि :–

अपील अपीलांट खारिज की जाती है । अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 05.03.2018 यथावत रखा जाता है ।

बाबत मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत आज तारीख 18 माह 01 सन् 2021 को जारी किया गया ।

मोहर

(महेन्द्र लोढ़ा)
भू–प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन
राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा (राज.)